अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार .....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
7.11.2014	**न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।** **भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 114/2012** बीबी अवेदा खातुन एवं अन्य –– अपीलार्थीगण बनाम मो0 वसीम एवं अन्य –– रेस्पोण्डेन्ट **–:: आदेश ::–** यह अपील वाद बीबी अवेदा खातुन एवं मो0 सबीर आलम के द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–50/2011 के भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के आदेश दिनांक 27.01.2012 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्ता का कथन है कि प्रत्यार्थी वसीम अख्तर के द्वारा बिहार भूमि निराकरण के अंतर्गत मौजा सलखुआ, खाता संख्या–93 (पुराना), 243 (नया), खेसरा संख्या–1415 (पुराना), 1674 (नया), रकवा–01 कट्ठा एवं शिड्यूल–2 मौजा–सलखुआ, खाता संख्या–93 (पुराना), 243 (नया), खेसरा सख्या–1415 (पुराना), 1674 (नया), रकवा–10 धूर के लिए मुकदमा निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिसमें प्रत्यार्थियों का दावा था कि उनके पक्ष में चल रही जमाबंदी को अक्षुण्ण रखते हुए अपीलकर्त्ता के जमाबंदी को निरस्त किया जाय एवं अन्यान्य प्रतिकार (रिलिफ) के लिए दाखिल हुआ। प्रत्यार्थी का कथन है कि प्रत्यार्थी के चाचा यासीमउद्दीन, पिता–स्व0 जहीरउद्दीन द्वारा संयुक्त केवाला से विवादी खेसरा रकवा एक कट्ठा हासिल है, जिस केवाला पर मो0 साबिर आलम अपीलार्थी संख्या–02 का हस्ताक्षर मौजूद है एवं दाखिल–खारिज वाद संख्या–10/2003–04 के द्वारा जमाबंदी नं0–1305 अचल सिरिस्ता में कायम है एवं प्रत्यर्थी के चाचा के नाम उक्त दाखिल–खारिज से ही जमाबंदी 1304 कायम होकर मालगुजारी रसीद प्राप्त है एवं उनका कहना है कि विवादित भूमि दानपत्र संख्या–4602, 1997 दिनाक 22.04.1997 मो0 जहीरउद्दीन अपीलार्थी संख्या–02 और मो0 सबीर आलम के पिता और अपीलार्थी संख्या–01 बीबी जावेदा खातुन के श्वसुर मो0 यासिन वो मो0 जब्बार हुसैन, पिता–जहीरउद्दीन को रकवा क्रमशः 13 धूर, 07 धूर एवं मो0 वसीम अख्तर, पे0–मो0 अब्बास के नाम से तामिल कर दखल–कब्जा दे दिया। मो0 जब्बार हुसैन अपने पिता के जिन्दगी में ही मर गये, उनकी वह जमीन पुनः पिता को हासिल हुई। जिसका रकवा 06 धूर, 10 धूरकी था और उसका आधा 03 धूर, 05 धूरकी अपने पुत्र यासीमउद्दीन वो अपने पोता वसीमउद्दीन को जुबानी दान कर दिया, जिसका यादस्त बना दिया, जिस पर शबीर आलम गवाह है। इस तरह उनका कहना है कि प्रत्यर्थी नं0–2 को रकवा–10 धूर पर उक्त दखल हुआ और केवल दान पत्र के आधार 07 धूर पर नकानत बगैरह बनाया। इस तरह उनका दावा है कि विवादी जमीन उनका है, जिस पर उनका हक और दखल प्राप्त है।	

दोनों पक्षों के द्वारा कागजी सबूत दाखिल किया गया और निम्न न्यायालय के आदेश में वाद संख्या–254/2008 की प्रति एवं लिखित मुख्तारनामा की छायाप्रति केवाला नं0–4870 की छायाप्रति एवं मालगुजारी रसीद एवं नामांकरण का शुद्धि पत्र दाखिल किया गया और प्रत्यर्थी ने सबूत के तौर पर निबंधित दान पत्र दिनांक 22.04.1997 की छायाप्रति एवं दान पत्र दिनांक 23.05.2002 की छायाप्रति एवं बिहार सरकार की मालगुजारी रसीद ' एकरारनामा और शपथ पत्र एवं भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता का आदेश दाखिल किया गया।

अपीलार्थी अपने आवेदन के पारा (viii) में स्पष्ट करते है कि इस संन्दर्भ में टी0एस0 वाद 254/2008, सब जज चतुर्थ, सहरसा के न्यायालय मे चल रहा है जिसमें Complax Question of Title का मामला विचाराधीन है, इसकी सम्पुष्टि निम्न न्यायालय के अभिलेख पर स्थित कागजातों से भी होता है, जिसमे पक्षकार एवं प्रश्नगत् भूमि एक ही है। टी0एस0 वाद 254/2008 में मो0 यासीनुद्दीन आवेदक एवं बीबी आबेदा एवं अन्य विपक्षी बनाये गये हैं। उभय पक्ष में किसी ने भी उक्त विचाराधीन वाद की अद्यतन स्थिति स्पष्ट नहीं किये हैं तथा निम्न न्यायालय में भी इसका विचारण नहीं हुआ है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा पक्षकार दाखिल अधिकार वाद स0 254/2008 के फैसले के अनुरूप आगे की कार्यवाई करेगें। इसके साथ वाद की कार्यवाई समाप्त करते हुए निम्न न्यायालय के अभिलेख वापस की जाए।

मेरे द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

7-11-19

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा

7-11-19

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा